संख्या-14/720/41-2014-33 सा0/2014

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0,
उ0प्र0।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक:: 28 मार्च, 2014

विषय: आयोजनेत्तर पक्ष में प्रदर्शिनी मद में पुनर्विनियोग द्वारा धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3472/4-2-2 (बजट)/प्रचार/ 2013, दिनांक-11.03.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्रदर्शिनी मद में रू0-3.50 लाख (रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत कर आपे निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-3452-आयोजनेत्तर-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रचार-18-प्रकाशन मद से संलग्न विवरण के

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा लेखा शीर्षक-3452-आयोजनेत्तर-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- 04- प्रदर्शिनियों में भाग लेने पर व्यय-42 अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की आशासकीय संख्या-472-ई-7/दस-2014 दिनांक-27 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

संख्या-14/720/(1)/41-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in